②

मु.नं.–03 / 2021 GCMS ID-2021/11 ता.रजु–15.01.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

डी.के. मीना पुत्र श्री बत्तीलाल मीना, निवासी विलोज नगर, पोस्ट सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज. – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक--02.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 24.02.2021, 02.03.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम विलोजनगर पोस्ट सलेमपुर में दिनांक 01.10.2020 को विद्युत ट्रांस्फार्मर स्थापित करने हेतु आदेश जारी करने के विवरण आदि कुल 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 72 दिनांक 12.02.2021 से अवगत करवाया है कि प्रकरण में चाही गई सूचना का संबंध विद्युत विभाग से होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 6(3) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. करौली को निर्धारित समय अवधि में अंतरित कर दिया था।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 6(3) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. करौली को निर्धारित समय अवधि में अंतरित कर दिया गया था। बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली